52 225

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञाप संख्या-ए0/वि0आ0(स्था0)-26/08...639........./जे0, पटना, दिनांक:-30-11-011

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- वित्त विभाग ।

बिषय:- बिहार राज्य विधि आयोग के कार्यों के सम्पादन हेतु विधि पदाधिकारी का एक पद, प्रशाखा पदाधिकारी का एक पद एवं पुस्तकालय सहायक के एक पद यथा कुल 3(तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-472/1994-डा0 राम चन्द्र राय बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-27.03.2000 को पारित आदेश के आलोक में केन्द्र एवं अन्य पड़ोसी राज्यों की भांति बिहार राज्य के लिए विधि(न्याय) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञा0-3324 दिनांक-07.09.2000 द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया है तथा राज्यादेश सं0-2818 दिनांक-01.08.2000 द्वारा विधि आयोग के लिए राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन किया गया है। सम्प्रति विधि आयोग में अध्यक्ष-1 पद सदस्य सचिव(जिला एवं सत्र न्यायाधीश संवर्ग)-1 पद, अवर सचिव(संयुक्त संवर्ग)-1 पद, निजी सहायक-3 पद, सहायक(संयुक्त संवर्ग)-3 पद, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर-1 पद, दिनचर्या लिपिक-1 पद, चालक(कंट्रेक्ट)-2 पद एवं आदेशपाल-4 पद सृजित है। आयोग का गठन सीमित अवधि(3 वर्षो) के लिए किया गया था तथा आवश्यकतानुसार इसकी अवधि विस्तार की जा रही है।

2 सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-13895/06 ब्रह्मदेव ठाकुर बनाम बिहार राज्य व अन्य में विधि आयोग ने विधि, पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं पुस्तकालय सहायक के पद स्वीकृति का किया गया था तदनुसार प्रतिशपथ-पत्र के द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित पद सृजन के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

3. प्रशासी पदवर्ग समिति, बिहार, पटना के ज्ञापांक-10309वि दिनांक-15.11.10 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग के कार्यालय हेतु निम्नलिखित पदो के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	विधि पदाधिकारी का एक(01)पद, प्रशाखा पदाधिकारी का एक(01) पद एवं पुस्तकालय सहायक का एक(01) पद नियमित वेतनमान पर सृजन की स्वीकृति।
(i)	विधि पदाधिकारी	PB-2+4200	1	
(ii)	प्रशाखा पदाधिकारी	PB-2+4800	1	
(iii)	पुस्तकालय सहायक	PB-2+4200	1	
		कुल :-	3 पद	

4. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप इस पर होने वाले स्थापना व्यय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते पर प्रतिवर्ष 9,55,684 (नौ लाख पचपन हजार छः सौ चौरासी)रूपये व्यय संभावित है,

G:\Sanlekh.doc

5. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में उक्त पदो के लिए उपबंध स्वीकृत नहीं है परन्तु इसके स्थापना पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बिहार राज्य आकस्मिकता निधि अथवा अनुपूरक के माध्यम से, निधि का उपबंध कर लिया जायेगा।

6. स्थापना व्यय का विकलन बजट शीर्ष-2014 न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष-800, अन्य व्यय-उप शीर्ष-0006 विधि आयोग के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते में स्वीकृत बजट उपबंध से होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य विधि आयोग के अवर सचिव, बिहार, पटना होगें।

7. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

8. मंत्रिपरिषद की बैठक मद संख्या-22 द्वारा दिनांक-22.11.11 को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। (संचिका संख्या-ए0/वि0आ0(स्था0)-26/08 पृष्ठ संख्या-109टि0 पर है।)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/वि0आ0(स्था0)-26/08/639**/जे0,** **पटना, दिनांक-**30.11.11

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी सचिवालय सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-ए0/वि0आ0(स्था0)-26/08/639**/जे0,** **पटना, दिनांक-**30.11.11

प्रतिलिपि:- महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-ए0/वि0आ0(स्था0)-26/08/639**/जे0,** **पटना, दिनांक-**30.11.11

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/विधि विभाग स्थापना शाखा/अवर सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग/विधि विभाग बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(विनोद कुमार सिन्हा)
सरकार के सचिव, बिहार, पटना ।

30/11/11

G:\Sanlekh.doc